दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 31-12-2024

विषय सूची

रोहिंग्या संकट पर भारत के दृष्टिकोण की जाँच

ग्रीन स्टील मिशन: स्टील उद्योग को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में सहायता करना

गंभीर प्रकृति की आपदा

नारी शक्ति से जलशक्ति पहल

भारत का रक्षा निर्यात

रोहिंग्या संकट पर भारत के दृष्टिकोण की जाँच

संक्षिप्त समाचार

समुद्री ऊदबिलाव (Sea otters)

बाल्कन ब्लूज (Balkan Blues)

वासिलोपिटा (Vasilopita)

तमु ल्होसार महोत्सव

राजकीय अंतिम संस्कार

RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)

पांगोंग त्सो

सुशासन सूचकांक

www.nextias.com

रोहिंग्या संकट पर भारत के दृष्टिकोण की जाँच

समाचार में

- आजादी परियोजना और रिफ्यूजीज इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की नजरबंदी के संबंध में "संवैधानिक और मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन" पर प्रकाश डाला गया है।
    - अध्ययन से पता चला है कि कई रोहिंग्या शरणार्थी अपनी निर्धारित सजा पूरी करने के बाद भी जेल में बंद हैं।

रोहिंग्या

- रोहिंग्या एक नृजातीय समूह है, जिनमें से अधिकांशतः मुस्लिम हैं, जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत में निवास करते हैं।
- वे सामान्यतः बोली जाने वाली बर्मी भाषा के विपरीत बंगाली बोली बोलते हैं।
- म्यांमार उन्हें पूर्ण नागरिकता नहीं प्रदान करता है, तथा उन्हें औपनिवेशिक काल से आये प्रवासी मानता है, जबकि वे लंबे समय से देश में रह रहे हैं।
    - रोहिंग्याओं को नागरिक सेवा से बाहर रखा गया है तथा रखाइन राज्य में उनकी आवाजाही प्रतिबंधित है।

रोहिंग्या शरणार्थियों के संबंध में चिंताएँ:

- भारत में कोई मानकीकृत शरणार्थी नीति नहीं है, जिसके कारण भू-राजनीतिक हितों में परिवर्तन के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है।
- रोहिंग्या शरणार्थियों को, UNHCR में पंजीकृत होने के बावजूद, तिब्बतियों या श्रीलंकाई जैसे अन्य शरणार्थी समूहों के विपरीत, मनमाने ढंग से हिरासत और आपराधिक कारावास का सामना करना पड़ता है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 रोहिंग्या सहित मुसलमानों को अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले लाभों से बाहर रखता है।
- रोहिंग्या शरणार्थियों को वित्तीय बाधाओं तथा उनके लिए कार्य करने वाले नागरिक समाज संगठनों के FCRA लाइसेंस रद्द किए जाने के कारण कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव है।
- हिरासत केंद्रों की स्थितियाँ बहुत ही भयावह हैं, यहाँ रहने की स्थिति अत्यधिक भीड़भाड़ वाली और अमानवीय है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत संरक्षण:

- रोहिंग्या शरणार्थियों को 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है, जो गैर-वापसी (व्यक्तियों को उन देशों में निष्कासित करने पर रोक लगाना जहाँ उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है) के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है।
- UNHCR और अन्य संगठन गैर-वापसी को प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में मान्यता देते हैं, जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी है, जिनमें शरणार्थी सम्मेलन के पक्षकार नहीं होने वाले राज्य भी शामिल हैं।

शरणार्थियों पर भारत का दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व:

- भारत ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और यातना विरोधी सम्मेलन जैसी अन्य मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- भारत विदेशियों की उपस्थिति को विनियमित करने के लिए विदेशी अधिनियम, 1946 एवं पासपोर्ट अधिनियम, 1967 का उपयोग करता है और रोहिंग्या शरणार्थियों को "अवैध प्रवासी" मानता है।
- भारत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ICCPR) का एक पक्ष है, जो सदस्य देशों को व्यक्तियों को ऐसे स्थानों पर निर्वासित करने से रोकने के लिए बाध्य करता है जहाँ उन्हें यातना या क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है।
- भारत ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का भी अनुसमर्थन किया है, जैसे सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय और बाल अधिकार पर अभिसमय, जो गैर-प्रत्यावर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं।
    - यद्यपि भारत ने यातना विरोधी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, परंतु उसने इसकी पुष्टि नहीं की है, अर्थात् इसके प्रावधान बाध्यकारी नहीं हैं।

उच्चतम न्यायालय की भूमिका:

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर सरकार के दृष्टिकोण को बरकरार रखा है तथा रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है।
- घरेलू शरणार्थी कानून के अभाव में, उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का उपयोग किया है, जैसा कि विशाखा एवं अन्य जैसे ऐतिहासिक मामलों में देखा गया है। वी राजस्थान राज्य (1997) और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम राजस्थान (1997) भारत संघ (2014)।
- संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की व्याख्या कुछ न्यायालयों द्वारा गैर-प्रत्यावर्तन को भी इसमें शामिल करने के रूप में की गई है।
- उच्चतम न्यायालय ने कानूनी सेवाओं को निर्देश दिया कि वे शरणार्थियों की जीवन स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए हिरासत केंद्रों का दौरा करें।

सुझाव और आगे की राह

- रोहिंग्या संकट मानवाधिकारों के महत्त्व तथा मानवीय आपदाओं के सामने वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता का स्पष्ट स्मरण दिलाता है।
- रोहिंग्या लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और प्रयासों का समर्थन करना महत्त्वपूर्ण है।
- इसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों, विशेषकर प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत शरणार्थियों की सुरक्षा के संबंध में, पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- हालिया अध्ययन एक सुसंगत शरणार्थी नीति बनाने, कानूनी सहायता प्रदान करने और हिरासत की स्थितियों में सुधार लाने के महत्त्व को रेखांकित करता है।

Source: TH

ग्रीन स्टील मिशन: स्टील उद्योग को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में सहायता करना

सन्दर्भ

- हाल ही में, भारत सरकार ने ग्रीन स्टील मिशन के नाम से एक व्यापक रोडमैप का अनावरण किया है, जिसकी लागत 15,000 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।

भारत में इस्पात क्षेत्र

- **उत्पादन:** भारत की कच्चे इस्पात की क्षमता 2023-24 में 179.5 मिलियन टन तक पहुँच गई। मिश्र धातु और गैर-मिश्र धातु सहित तैयार इस्पात के उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई है, 2023-24 में 139.15 मिलियन टन उत्पादन किया जाएगा।
    - इस्पात उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है, जो कुल कच्चे इस्पात उत्पादन में लगभग 83% का योगदान देता है।
    - राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का उद्देश्य तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का निर्माण करना है, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक 300 मिलियन टन उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
- **इस्पात की खपत:** अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान तैयार इस्पात की कुल खपत लगभग 75.6 मिलियन टन थी।
    - वित्त वर्ष 23 में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 86.7 किलोग्राम रही।

ग्रीन स्टील मिशन

- इसका उद्देश्य इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना तथा इसे 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के अनुरूप बनाना है।
- **प्रमुख घटक**
- **ग्रीन स्टील के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इसका उद्देश्य ग्रीन स्टील के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, निवेश आकर्षित करना और विशेष इस्पात के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन:** इस्पात उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिशन में विभिन्न प्रोत्साहन शामिल हैं।
    - इसका उद्देश्य इस्पात उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता करना है।
- **सरकारी एजेंसियों के लिए अधिदेश:** सरकारी एजेंसियों को अब ग्रीन स्टील खरीदना आवश्यक है, जो माँग को बढ़ाएगा और उद्योग को अधिक सतत् प्रथाओं में परिवर्तन का समर्थन करेगा।

इस्पात उद्योग को विकार्बनीकृत करने के लाभ

- **वैश्विक जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव:** इस्पात क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने का प्राथमिक लाभ वैश्विक जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव है।
    - इस्पात s सकते हैं

इस्पात उद्योग में विकार्बनीकरण को बढ़ावा देने के लिए संबंधित नीतियाँ और पहल

- **कार्य बल:** इस्पात क्षेत्र के लिए विकार्बनीकरण रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत, थिंक टैंक और सरकारी निकायों को सम्मिलित करते हुए 14 कार्य बल बनाए गए।
- **स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (2019)** घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है, एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, और एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ELVs) सहित लौह स्क्रैप के पुनर्चक्रण के लिए धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है।
- **वाहन स्क्रैपिंग नीति (2021)** मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमों को लागू करके इस्पात क्षेत्र के लिए स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाती है।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन (2010)** सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है, तथा इस्पात उद्योग में उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देता है।
- **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना** इस्पात उद्योग में ऊर्जा दक्षता सुधार को प्रोत्साहित करती है।
- **एकीकृत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा हरित हाइड्रोजन उत्पादन को समर्थन देने के लिए इसकी घोषणा की गई है, जिसमें इस्पात क्षेत्र एक प्रमुख हितधारक है।
- **इस्पात क्षेत्र को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** में एकीकृत किया गया है, जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग पर केंद्रित है। यह इस्पात उत्पादन को कार्बन मुक्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **हरित इस्पात वर्गीकरण:** भारत ने हरित इस्पात के लिए एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न-उत्सर्जन इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत किया गया है।
- यह हरित इस्पात के लिए बाजार बनाने में सहायता करता है तथा हरित पहलों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
- **कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र व्यापार तंत्र** के माध्यम से इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) को जून 2023 में अधिसूचित किया गया।
- **इस्पात मंत्रालय ने हरित इस्पात मिशन** के अंतर्गत कई पायलट परियोजनाएँ प्रारंभ की हैं।
    - ये परियोजनाएँ 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) का उत्पादन करने और वर्तमान ब्लास्ट फर्नेस में कोयला/कोक की खपत को कम करने पर केंद्रित हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करना तत्काल आवश्यक है।
- ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करके, इस्पात क्षेत्र अपने कार्बन पदचिह्न को काफी कम कर सकता है।
- हरित, अधिक सतत् इस्पात उद्योग की ओर संक्रमण को गति देने के लिए सरकार, उद्योग जगत और अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग आवश्यक है।

Source: DD News

गंभीर प्रकृति की आपदा

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन को "गंभीर प्रकृति की आपदा" घोषित किया है, पाँच महीने पहले इस आपदा में 254 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 128 लोग लापता हो गए थे।

गंभीर प्राकृतिक आपदाएँ

- गंभीर प्रकृति की आपदाएँ विनाशकारी घटनाएँ होती हैं जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को व्यापक हानि पहुँचाती हैं।
- ये आपदाएँ भूकंप, चक्रवात या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं या औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसे मानव-प्रेरित कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं।

घोषणा के निहितार्थ

- जब किसी आपदा को "दुर्लभ गंभीरता"/"गंभीर प्रकृति" की घोषित किया जाता है, तो राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रदान की जाती है।
- केंद्र NDRF से अतिरिक्त सहायता पर भी विचार करता है।
- आपदा राहत कोष (CRF) की स्थापना की जाती है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच 3:1 के अनुपात में धनराशि साझा की जाती है।
  - जब CRF में संसाधन अपर्याप्त हों, तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) से अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जाता है, जिसका 100% वित्तपोषण केंद्र द्वारा किया जाता है।
- जब किसी आपदा को "गंभीर" घोषित कर दिया जाता है, तो ऋण की अदायगी में राहत या प्रभावित व्यक्तियों को रियायती शर्तों पर नए ऋण प्रदान करने पर भी विचार किया जाता है।

गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव

- **सामाजिक प्रभाव:** जीवन की हानि और लोगों के विस्थापन के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों सहित हाशिए पर रहने वाले वर्गों की बढ़ती संवेदनशीलता।
- **आर्थिक प्रभाव:** सड़कों, पुलों और विद्युत प्रणालियों जैसे बुनियादी ढाँचे को हानि।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** मृदा अपरदन में वृद्धि, वनों की कटाई, और प्राकृतिक आवासों का हानि।

सरकार की पहल

- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** पर्यावरण क्षरण से होने वाले जोखिमों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **पूर्व चेतावनी प्रणाली:** भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली और डॉपलर रडार स्थापना जैसी पहल।
- तत्काल राहत एवं पुनर्वास के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF)।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** आपदा मानचित्रण एवं नियोजन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग का उपयोग।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु सुझाव

- **बुनियादी ढाँचे की लोचशीलता:** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण को रोकने के लिए भूमि-उपयोग नियोजन और ज़ोनिंग विनियमों को लागू करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकी को साझा करना।
- **जलवायु परिवर्तन शमन पर ध्यान देना:** आपदाओं के अंतर्निहित कारकों को संबोधित करने के लिए सतत् विकास को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

- प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के लिए रोकथाम, शमन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया को मिलाकर एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके एवं जलवायु-प्रतिरोधी नीतियों को अपनाकर, भारत गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकता है और अपने विकास पथ को सुरक्षित कर सकता है।

Source: TH

नारी शक्ति से जलशक्ति पहल

संदर्भ

- भारत में, नारी शक्ति से जल शक्ति पहल एक अभूतपूर्व प्रयास है जो जल संरक्षण में महिलाओं के नेतृत्व का लाभ प्राप्त कर रहा है।

परिचय

- केंद्र सरकार ने मार्च, 2024 में 'नारी शक्ति से जल शक्ति' थीम के साथ राष्ट्रव्यापी अभियान 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन-2024' का पाँचवा संस्करण प्रारंभ किया।
- **महिलाओं के नेतृत्व में कार्रवाई**: इस पहल के अंतर्गत महिलाओं ने समुदायों को जल-बचत प्रथाओं को अपनाने, अपव्यय को कम करने और प्राकृतिक जल निकायों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है।
- **स्थायित्व पर ध्यान**: महिला नेतृत्व जल संरक्षण प्रयासों की स्थिरता सुनिश्चित करता है, इन प्रथाओं को सामुदायिक जीवन शैली में शामिल करता है।

महत्त्व

- **SDGs के साथ संरेखण:** यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष योगदान देती है:
  - SDG 5: लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण।
  - SDG 6: सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना।

- **महिलाओं को सशक्त बनाना**: यह महिलाओं को बदलाव के प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में पहचानता है, जिससे उन्हें जल संरक्षण रणनीतियों का नेतृत्व करने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सके।

जल संकट की स्थिति

- वैश्विक जल संकट बढ़ता जा रहा है, कम आय वाले देशों में वित्तीय घाटे के अनुमान 2050 तक संभावित रूप से GDP में 15% की कमी तक पहुँच सकते हैं।
- भारत एक गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जिसमें अनुमान है कि 2030 तक इसकी लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल तक पहुँच नहीं होगी।
  - भारत का लगभग 80% जल कृषि में खपत होता है और यह अप्रत्याशित मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है।

जल संरक्षण के लिए सरकार की पहल

- राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (NAQUIM) देश में जलभृत प्रणाली का चित्रण और लक्षण वर्णन करने के लिए।
- जल क्रांति अभियान का उद्देश्य सभी हितधारकों को शामिल करते हुए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से जल संरक्षण और प्रबंधन पहलों को सुदृढ़ करना है।
- अटल भूजल योजना, माँग प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी पर बल देते हुए देश के सात राज्यों के कुछ हिस्सों में पहचाने गए जल-अभाव क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार की परिकल्पना करती है।
  - ग्राम पंचायत स्तर के जल उपयोगकर्त्ता संघों में जल बजट में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33% रखी गई है।
- **राष्ट्रीय जल नीति:** यह वर्षा जल संचयन का समर्थन करती है तथा वर्षा के संरक्षण और प्रत्यक्ष उपयोग पर बल देती है।

केस स्टडीज़

- **राजस्थान में,** महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों ने पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित किया है और चेक डैम का निर्माण किया है।
- **महाराष्ट्र में,** महिलाओं ने सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कृषि में जल का उपयोग कम हुआ है और फसल की उपज में वृद्धि हुई है।
- **हिमाचल प्रदेश में,** महिलाएँ वर्षा जल संचयन परियोजनाओं में सक्रिय रूप से सम्मिलित हैं।

निष्कर्ष

- नारी शक्ति से जल शक्ति पहल दर्शाती है कि कैसे महिलाओं का नेतृत्व भारत में जल संरक्षण को परिवर्तित कर सकता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।
- यह नवोन्मेषी कार्यक्रम सरकारी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देता है, जिससे जल प्रबंधन के लिए एक मजबूत और सतत् मॉडल तैयार होता है।

Source: **DTE**

भारत का रक्षा निर्यात

संदर्भ

- केयरएज (CareEdge) रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का रक्षा क्षेत्र का उत्पादन वित्त वर्ष 24-वित्त वर्ष 29 के दौरान लगभग 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने वाला है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **बजट आवंटन:** भारत का रक्षा बजट लगातार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 1.90 से 2.8% के मध्य रहा है।
  - वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपये समर्पित किए गए हैं।
- **स्वदेशी विनिर्माण:** 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों के समर्थन से देश निरंतर विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और अपनी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है।
- **रक्षा निर्यात:** वित्त वर्ष 2024 तक समाप्त पिछले छह वर्षों में, भारतीय रक्षा निर्यात लगभग 28% की CAGR से बढ़ा है।
  - अगले 5 वर्षों के दौरान (अर्थात् वित्त वर्ष 24 से वित्त वर्ष 29 तक) भारत का रक्षा निर्यात लगभग 19% की अनुमानित दर से बढ़ेगा।
  - भारत के रक्षा निर्यात में विभिन्न उत्पाद शामिल हैं, जैसे विमान, नौसेना प्रणाली, मिसाइल प्रौद्योगिकी और सैन्य हार्डवेयर।

भारत का रक्षा निर्यात

- भारत ने 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात लक्ष्य रखा है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है।
- भारत से निर्यात में निजी क्षेत्र और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) का योगदान क्रमशः लगभग 60% और 40% था।
- देश वर्तमान में लगभग 85 देशों को सैन्य हार्डवेयर निर्यात कर रहा है, जिसमें लगभग 100 स्थानीय कंपनियाँ सम्मिलित हैं।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2000 से 2023 के मध्य म्यांमार भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना रहा, जिसकी भारत के निर्यात में 31% हिस्सेदारी थी, तथा उसके बाद श्रीलंका का स्थान था, जिसकी हिस्सेदारी 19% थी।
  - मॉरीशस, नेपाल, आर्मेनिया, वियतनाम और मालदीव अन्य प्रमुख आयातक थे।
- भारत का रक्षा उत्पादन 2016-17 में 74,054 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 108,684 करोड़ रुपये हो गया।
  - इसमें से 21.96% उत्पादन निजी कंपनियों द्वारा किया गया।

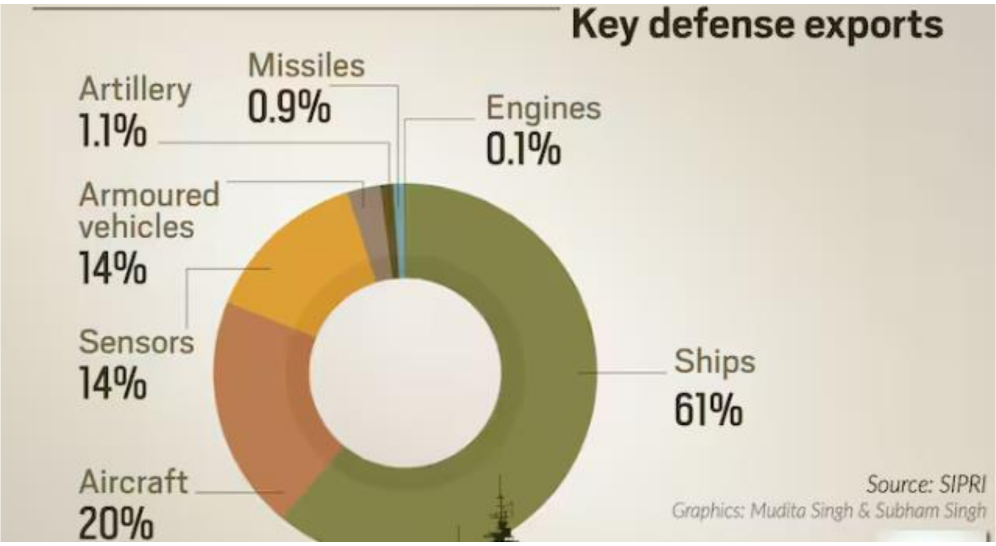

रक्षा उत्पादन में वृद्धि के लाभ

- **आत्मरक्षा:** चीन एवं पाकिस्तान जैसे शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों की उपस्थिति के कारण भारत के लिए अपनी आत्मरक्षा और तैयारी को बढ़ाना आवश्यक हो गया है।
- **रणनीतिक लाभ:** आत्मनिर्भरता भारत की भू-राजनीतिक स्थिति को शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में रणनीतिक रूप से मजबूत बनाएगी।
- **तकनीकी उन्नति:** रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति से स्वचालित रूप से अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को अधिक बढ़ावा मिलेगा।
- **आर्थिक क्षति:** भारत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% रक्षा पर व्यय करता है और इसका 60% आयात पर व्यय होता है। इससे भारी आर्थिक क्षति होती है।
- **रोजगार:** रक्षा विनिर्माण को कई अन्य उद्योगों के समर्थन की आवश्यकता होगी जो रोजगार के अवसर सृजित करते हैं।

चिंताएँ

- **निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी:** रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुकूल वित्तीय ढाँचे के अभाव के कारण बाधित है, जिसका अर्थ है कि हमारा रक्षा उत्पादन आधुनिक डिजाइन, नवाचार और उत्पाद विकास से लाभान्वित होने में असमर्थ है।
- **महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का अभाव:** डिजाइन क्षमता का अभाव, अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास निवेश, प्रमुख उप-प्रणालियों और घटकों के विनिर्माण में असमर्थता स्वदेशी विनिर्माण में बाधा उत्पन्न करती है।
- **हितधारकों के बीच समन्वय का अभाव:** रक्षा मंत्रालय एवं औद्योगिक संवर्धन मंत्रालय के बीच अधिकार क्षेत्र के अतिव्यापी होने के कारण भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है।

सरकारी कदम

- **निर्यात प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** सरकार ने रक्षा निर्यात के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, इंडिया डिफेंस मार्ट की शुरुआत की है, जो कंपनियों को निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन करने और उनके आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।
- रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा निर्यात संवर्धन योजना (SPDE) जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों में भाग लेने, विदेशों में भारतीय रक्षा उत्पादों के विपणन और प्रचार के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है।
- भारतीय रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (TUFS)।
    - यह योजना विनिर्माण सुविधाओं के तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी मॉडल प्रस्तुत किया है।
    - ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के मध्य मजबूत रक्षा सहयोग का प्रमाण है।
- मेक इन इंडिया जैसी पहल के साथ-साथ भारत सरकार ने रक्षा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (EPC) की स्थापना की है।
- निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को उदार बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में FDI को स्वचालित मार्ग से 74% और सरकारी मार्ग से 100% तक बढ़ा दिया गया है।
- सरकार ने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में दो समर्पित रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं, जो रक्षा विनिर्माण के क्लस्टर के रूप में कार्य करेंगे एवं वर्तमान बुनियादी ढाँचे तथा मानव पूँजी का लाभ उठाएँगे।

आगे की राह

- रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन चैनल स्टेटस पॉलिसी (GCS) प्रारंभ की गई है।
- भारत में लगभग 194 रक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हैं जो देश के रक्षा प्रयासों को सशक्त बनाने और समर्थन देने के लिए नवीन तकनीकी समाधान तैयार कर रहे हैं।
- भारत के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों को आसान बनाने पर सरकार के बल के साथ, भारतीय रक्षा क्षेत्र की विकास गति मजबूत बनी हुई है।
- यह वृद्धि भारतीय रक्षा उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतिबिंब है।

Source: DD

भारत उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा

संदर्भ

- भारत के विनिर्माण क्षेत्र में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में इसके परिवर्तन को रेखांकित करती है।

परिचय

- खिलौनों के निर्यात में 239% तथा मोबाइल फोन उत्पादन में 600% की वृद्धि हुई।
- 2024 तक भारत 700 बिलियन डॉलर से अधिक के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले शीर्ष चार देशों में सम्मिलित हो जाएगा।
- वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में देश 2015 के 81वें स्थान से ऊपर चढ़कर 39वें स्थान पर पहुँच गया।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र

- विनिर्माण निर्यात ने वित्त वर्ष 23 के दौरान 6.03% की वृद्धि के साथ 447.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अपना अब तक का उच्चतम वार्षिक निर्यात दर्ज किया है।
- वर्ष 2030 तक भारतीय मध्यम वर्ग की वैश्विक खपत में 17% हिस्सेदारी के साथ दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी होने की संभावना है।
- वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के तिमाही अनुमान के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर भारत का सकल मूल्य वर्धन (GVA) 770.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था।
- भारत का ई-कॉमर्स निर्यात 2030 तक वार्षिक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे कुल निर्यात 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने में सहायता मिलेगी।
- वित्त वर्ष 2024 में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 42% बढ़कर 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें अमेरिका शीर्ष गंतव्य रहा।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **तकनीकी अंतर:** भारतीय विनिर्माण उद्योग स्वचालन, IoT और AI जैसी उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाने में पिछड़ रहा है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा कम हो रही है।
- **कौशल अंतर:** भारत में उपलब्ध कार्यबल के कौशल और आधुनिक विनिर्माण की आवश्यकताओं के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर है।
- **आपूर्ति शृंखला में व्यवधान:** आयातित कच्चे माल और घटकों, विशेष रूप से चीन से, पर अत्यधिक निर्भरता के कारण इस क्षेत्र को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों का सामना करना पड़ता है।
- **शासन संबंधी मुद्दे:** औद्योगिक नीतियों में लगातार परिवर्तन तथा उनके कार्यान्वयन में विलंब से निवेशकों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** भारत को चीन जैसे देशों से कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था और अधिक कुशल बुनियादी ढाँचे के कारण विनिर्माण लागत कम है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST):** GST के लागू होने से अप्रत्यक्ष कराधान और स्वचालित कर अनुपालन सुव्यवस्थित हो गया, जिससे व्यवसायों का भार कम हो गया।
- व्यापार को आसान बनाने के लिए कॉर्पोरेट करों में कटौती के साथ-साथ निर्माण परमिट को सरल बनाया गया तथा पुराने कानूनों को समाप्त किया गया।
- **FDI नीति:** कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्र 100% FDI की अनुमति देते हैं।
  - उदाहरण के लिए, रक्षा उद्योग में स्वचालित मार्ग से 74% तथा सरकारी मार्ग से 100% FDI की अनुमति है।
- मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों, बेहतर बुनियादी ढाँचे एवं व्यापार करने में आसानी, तथा विभिन्न प्रोत्साहनों के कारण घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला है और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है।
- भारत और जर्मनी के बीच सहयोग कार्यक्रम मेक इन इंडिया मिटेलस्टैण्ड (MIIM) का ध्यान लघु एवं मध्यम आकार की जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश और विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करके नवाचार को बढ़ावा देने तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **जापान-भारत मेक-इन-इंडिया विशेष वित्त सुविधा:** इस निधि का उद्देश्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे के विकास सहित जापानी कंपनियों के प्रत्यक्ष निवेश और जापान से भारत तक व्यापार को बढ़ावा देना है।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:** PLI योजना ने फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों को अपने आपूर्तिकर्त्ताओं को भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप देश में उच्च-स्तरीय फोन का निर्माण हो रहा है।

आगे की राह

- भारत ने 15 अरब डॉलर से अधिक के निवेश से तीन सेमीकंडक्टर संयंत्रों के निर्माण को मंजूरी दी।
  - यह पहल भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और विभिन्न उन्नत प्रौद्योगिकी रोजगारों का सृजन करने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) योजना से वैश्विक उद्योग चैंपियनों का निर्माण होगा, जिससे पैमाने और समूहन की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ होगा।
- भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय की पहल 'समर्थ उद्योग भारत 4.0' अथवा 'समर्थ उन्नत विनिर्माण एवं तीव्र परिवर्तन केन्द्र' से पूँजीगत वस्तुओं के बाजार में विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की संभावना है।

Source: AIR

संक्षिप्त समाचार

समुद्री ऊदबिलाव(Sea otters)

समाचार में

- समुद्री ऊदबिलाव कैलिफोर्निया के एल्कहोर्न स्लौ नेशनल एस्टुरीन रिसर्च रिजर्व में हरे केंकड़ों, जो कि एक आक्रामक प्रजाति है, की जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायता कर रहे हैं।
    - यूरोप के मूल निवासी हरे केकड़े 1800 के दशक में उत्तरी अमेरिका पहुँचे और 1980 के दशक से समुद्री घास की क्यारियों को हानि पहुँचा रहे हैं, स्थानीय प्रजातियों को मात दे रहे हैं तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर रहे हैं।

समुद्री ऊदबिलाव का परिचय

- वे सबसे छोटे समुद्री स्तनपायी हैं, फिर भी वे वीज़ल परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं।
- **विशिष्ट विशेषताएँ:** यह अपना संपूर्ण जीवन पूरी तरह जल में ही व्यतीत करता है।
    - पृथ्वी पर किसी भी प्राणी की तुलना में इसका फर सबसे घना है (प्रति वर्ग इंच 1 मिलियन बाल)।
    - यह शिकार करने एवं भोजन करने के लिए औजारों का उपयोग करता है, जिसमें सीपों को खोलने के लिए चट्टानों का उपयोग और चट्टानों से अबालोन को उखाड़ना भी शामिल है।
    - भोजन की खोज में चट्टानों पर पलटने में सक्षम एकमात्र समुद्री स्तनपायी।
- **आवास और आहार:** उथले जल वाले तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं।
    - समुद्र तल पर भोजन करना और सतह पर खाने और सजने-संवरने जैसी गतिविधियाँ करना।
    - समुद्री ऊदबिलाव की चयापचय दर बहुत अधिक होती है और वे प्रतिदिन अपने शरीर के वजन का लगभग 25% खाते हैं।
    - समुद्री अर्चिन, क्लैम, मसल्स और केकड़ों सहित 100 से अधिक शिकार प्रजातियों का उपभोग करता है।
- **भौगोलिक विस्तार:** कनाडा, जापान, मैक्सिको, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:** इन्हें प्रमुख प्रजाति के रूप में जाना जाता है, ये समुद्री अर्चिन जैसे शाकाहारी जीवों की जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, तथा उन्हें समुद्री घास के जंगलों को नष्ट करने से रोकते हैं।
    - तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करना।
- **खतरे:** तेल रिसाव और अन्य प्रकार के प्रदूषण से खतरा।
    - जल में रसायनों और रोग उत्पन्न करने वाले जीवों से होने वाला प्रदूषण समुद्री ऊदबिलाव को हानि पहुँचाता है, जिससे उनका शिकार प्रभावित होता है तथा बीमारी एवं मृत्यु होती है।
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत।

Source: TH

बाल्कन ब्लूज़ (Balkan Blues)

संदर्भ

- बाल्कन ब्लूज़, एक पारंपरिक संगीत शैली, को हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित किया गया है।

परिचय

- सेवडालिंका, जिसे सामान्यतः बाल्कन ब्लूज़ के नाम से जाना जाता है, बाल्कन क्षेत्र में उत्पन्न एक उदासी भरा शहरी प्रेम गीत है।
- इसके आधार 16वीं शताब्दी तक जाती हैं, जो दक्षिण स्लाविक मौखिक कविता और ओटोमन साम्राज्य के संगीत प्रभावों के संश्लेषण को दर्शाती है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **संगीतमय अभिव्यक्ति:** इसे प्रायः कैपेला या पारंपरिक वाद्ययंत्रों जैसे कि टैम्बूरिका (एक वीणा जैसा वाद्य) की संगत के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
- **सांस्कृतिक संचरण:** सेवडालिंका की कला को मौखिक परंपराओं के माध्यम से संरक्षित किया गया है, जिसमें प्रदर्शन पारिवारिक समारोहों और सामुदायिक कार्यक्रमों का केंद्रीय तत्व रहा है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH)

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) से तात्पर्य सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं, अभिव्यक्तियों, ज्ञान एवं कौशल से है जो पीढ़ियों से हस्तांतरित होते हैं और समुदाय की पहचान तथा सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग बनते हैं।
- मूर्त विरासत (जैसे स्मारक या कलाकृतियाँ) के विपरीत, ICH प्रकृति में भौतिक नहीं है, बल्कि परंपराओं और जीवंत अभिव्यक्तियों के रूप में उपस्थित है।

UNESCO अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची

- UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का उद्देश्य उन सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं एवं अभिव्यक्तियों को मान्यता देना और उनकी सुरक्षा करना है जो मानव रचनात्मकता तथा विविधता का अभिन्न अंग हैं।
- यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु 2003 के कन्वेंशन से उत्पन्न हुआ है, जो 2008 में लागू हुआ।

Source: DDNews

वासिलोपिटा (Vasilopita)

समाचार में

वासिलोपिटा ग्रीक नव वर्ष उत्सव का एक अभिन्न अंग है।

वासिलोपिटा का परिचय

- वासिलोपिटा एक पारंपरिक ग्रीक केक है जिसे नए साल का जश्न मनाने के लिए बनाया जाता है।

- एक सिक्का, जिसे फ्लोरी के नाम से जाना जाता है, केक के अंदर छिपा होता है, और माना जाता है कि जो व्यक्ति इसे पाता है, उसे आगामी वर्ष के लिए सौभाग्य, प्रेम एवं स्वास्थ्य प्राप्त होता है।
- **परंपरा की उत्पत्ति:** यह परंपरा सेंट बेसिल से जुड़ी किंवदंतियों में निहित है, जो ग्रीस में सांता क्लॉज़ के समान हैं।
- **श्रद्धांजलि:** वासिलोपिटा का अर्थ है "तुलसी की मीठी रोटी" और सेंट बेसिल का सम्मान करता है, जो एक बिशप है जो अपनी उदारता के लिए जाना जाता है।
    - प्रथम टुकड़ा ईसा मसीह को, द्वितीय वर्जिन मैरी को तथा तृतीय सेंट बेसिल को समर्पित है।

Source:IE

तमु ल्होसार महोत्सव

समाचार में

हाल ही में नेपाल में तमु ल्होसार मनाया गया।

तमु ल्होसार महोत्सव

- यह गुरुंग समुदाय द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में और पिछले वर्ष को विदाई देने के लिए मनाया जाता है।
- गुरुंग भाषा में, "ल्हो" का अर्थ है वर्ष, और "सर" का अर्थ है परिवर्तन। तमु ल्होसार नेपाली माह पुश (दिसंबर-जनवरी) की 15 तारीख को मनाया जाता है।
    - यह त्यौहार वर्ष की सबसे लम्बी रात के साथ सामंजस्यशील है, जिसके पश्चात् रात की अवधि छोटी होने लगती है।
- **उत्सव क्षेत्र:** यह त्यौहार नेपाल के उन जिलों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहाँ गुरुंग जनसंख्या अधिक है, जैसे कि लामजंग, गोरखा, तनहुन, स्यांगजा, मनांग, कास्की और परबत।
- **सांस्कृतिक कार्यक्रम:** गुरुंग समुदाय के सदस्य इस अवसर को मनाने के लिए दावतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

Source: Air

राजकीय अंतिम संस्कार

समाचार में

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

राजकीय अंतिम संस्कार:

- राजकीय अंतिम संस्कार महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए एक औपचारिक कार्यक्रम है, जिसमें निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक शोक शामिल होता है।
- यह सामान्यतः भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या राज्यपाल की मृत्यु के लिए आरक्षित होता है। हालाँकि, व्यक्तिगत मामलों में, सरकार अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए राजकीय अंतिम संस्कार का आदेश दे सकती है।

- **राजकीय अंतिम संस्कार के नियम:** अंतिम संस्कार में राजपत्रित अधिकारी और सेवाकर्मी औपचारिक राजकीय पोशाक पहनकर उपस्थित होते हैं।
  - गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद रक्षा मंत्रालय व्यवस्था करता है।

क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रीय शोक केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा देश के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताओं या व्यक्तियों के लिए घोषित किया जाता है।
- **शोक के दौरान आधिकारिक प्रोटोकॉल:** राष्ट्रीय शोक के दौरान, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है।
  - राष्ट्रीय या राजकीय शोक के दौरान, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या महात्मा गांधी की जयंती को छोड़कर, आधिकारिक मनोरंजन स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे व्यवधानों के पश्चात् शोक पुनः प्रारंभ हो जाता है।
- **राजकीय अंतिम संस्कार के लिए ध्वज संहिता:** राजकीय अंतिम संस्कार में, राष्ट्रीय ध्वज को अर्थी या ताबूत पर लपेटा जाता है, जिसका केसरिया भाग सिर की ओर होता है।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की धारा 3.58 के अनुसार, ध्वज को कब्र में नहीं उतारा जाता है या शव के साथ नहीं जलाया जाता है।.

Source: IE

RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)

संदर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) जारी की, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति की गुणवत्ता और वित्तीय लोचशीलता में सुधार पर बल दिया गया।

FSR की मुख्य विशेषताएँ

- **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने सितंबर 2024 तक 2.6% का उल्लेखनीय 12-वर्ष का निम्नतम GNPA अनुपात प्राप्त किया।
- **प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR):** मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) से सक्रिय प्रावधान द्वारा संचालित, 77% तक सुधरा।
- **स्लिपेज अनुपात:** साधारण रूप से बढ़कर 0.7% हो गया, जो NPA में नियंत्रित वृद्धि को दर्शाता है।
- **घरेलू ऋण प्रवृति:** भारत का घरेलू ऋण जून 2024 में सकल घरेलू उत्पाद का 42.9% था, जो उभरते बाजारों में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन बढ़ते प्रक्षेपवक्र पर है।
- **विकास अनुमान:** भारत की वास्तविक GDP 2024-25 में 6.6% बढ़ने का अनुमान है, जो निम्नलिखित द्वारा संचालित है:
  - ग्रामीण उपभोग में सुधार।
  - सरकारी उपभोग और निवेश में वृद्धि।
  - सेवा निर्यात में मजबूती।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किया जाने वाला एक अर्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और लोचशीलता का आकलन करता है।
- यह बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFC), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और वित्तीय बाजारों सहित वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न घटकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

Source: TH

पांगोंग त्सो

संदर्भ

- हाल ही में 14,300 फीट की ऊँचाई पर पैंगोंग त्सो झील के तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया।

परिचय

- यह उत्तरी भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित, समुद्र तल से 4,350 मीटर की ऊँचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊँची लवणीय जल की झीलों में से एक है।
- इसका नाम तिब्बती शब्द, "**पैंगोंग त्सो**" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "**ऊँची घास की झील**"।
- झील का पश्चिमी भाग भारतीय क्षेत्र में स्थित है, जबकि पूर्वी भाग चीनी नियंत्रण में है।
- यह लवणीय है और किसी भी जलीय जीवन का समर्थन नहीं करता है, हालाँकि यह कुछ प्रवासी पक्षी प्रजातियों का घर है।
- **परिवर्तित रंग**: झील सूर्य के प्रकाश के कोण एवं मौसम की स्थिति के आधार पर नीले, हरे और कभी-कभी लाल रंग के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करती है।

Source: TH

सुशासन सूचकांक

संदर्भ

- केंद्र ने सुशासन सूचकांक 2023 जारी नहीं करने का निर्णय लिया है।
    - अगले संस्करण को 2025 में प्रकाशित करने की योजना है।

परिचय

- इसे 25 दिसंबर, 2019 को दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुभारंभ किया गया था, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- सूचकांक में कृषि, आर्थिक शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक-केंद्रित शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों के 50 से अधिक संकेतक सम्मिलित हैं।
- 2019 और 2021 की रैंकिंग में तमिलनाडु और गुजरात को क्रमशः बड़े राज्यों में प्रथम स्थान मिला।

सुशासन दिवस

- यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है।
- 2014 में सरकार ने घोषणा की थी कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- इसकी स्थापना "**ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन**" के नारे के साथ की गई थी।

Source: IE

■■■■

NEXT IAS हिन्दी